दिल्ली विश्वविद्यालय UNIVERSITY OF DELHI

सं.Ref.No.: स्था.Estab.II(i)/2013/______

दिल्ली Delhi, the 13th मार्च March, 2013

अधिसूचना NOTIFICATION

डब्ल्यू.यू.एस. स्वास्थ्य केंद्र की सदस्यता लेने अथवा डब्ल्यू.यू.एस. स्वास्थ्य केंद्र के अभिलेखों में परिवार के सदस्यों का नाम जोड़ने/हटाने के लिए आवेदन करने हेतु सूचित किया जाता है कि यह सभी संबंधित कर्मचारियों (सेवारत/सेवा–निवृत्त) के लिए अनिवार्य है कि वे अपनी सेवा का विवरण और परिवार के सदस्यों का विवरण विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के संबधित स्थापना शाखा द्वारा विधिवत् सत्यापित कराएं। उसके अभाव में डब्ल्यू.यू.एस. स्वास्थ्य केंद्र उनकी सदस्यता अथवा परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने/हटाने के अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

It is notified that for applying to the membership of W.U.S. Health Centre or addition/deletion of family member details in W.U.S. Health Centre records, it is mandatory for the employee concerned (Serving/Retired) that his/her service details and family members details are duly verified by the respective Establishment Branch of the University/College. In absence of the same, the request of membership or addition/deletion of family member shall not be entertained by W.U.S. Health Centre.

2. डब्ल्यू.यू.एस. स्वास्थ्य केंद्र की सदस्यता की पात्रता समय-समय पर संशोधित भारत सरकार, केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के अनुसार है। सदस्यता की सामान्य पात्रता अधिसूचना के संलग्नक में दी गई है। विस्तृत जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए प्रासंगिक सरकारी नियमों का संदर्भ लिया जा सकता है।

Eligibility of membership of W.U.S. Health Centre is as per Government of India, CS (MA) Rules, 1944, as amended from time to time. General eligibility of membership is given in the Annexure to the Notification. For detailed information/clarification, relevant Government rules may be referred.

3. डब्ल्यू.यू.एस. स्वास्थ्य केंद्र और संबंधित स्थापना अनुभाग उपर्युक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें ।

W.U.S. Health Centre and respective Establishment Section shall ensure strict compliance of the same.

........2/-